बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 30.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरूद्व, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 7,432 लीटर अवैध शराब, बक्सर जिला में 37 खोखा तथा सहरसा जिला में 4.580 किलोग्राम गाँजा जब्त किया गया।

पूर्णिया जिले में ₹11,94,160/–, सारण जिले में ₹23,15,886/–, वैशाली जिले में ₹98,900/–, मुंगेर जिले में ₹9,00,000/– तथा औरंगाबाद जिले में ₹1,65,000/– जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :–

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	8
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	5
Violation of Loudspeaker Act	1
Illegal Meeting/Speech etc.	3
Others	24

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :–

No. of Arms/Weapons seized	10
No. of cartridges seized	26
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	1
No. of Licensed Arms verified	87
No. of Licensed Arms deposited	735
No. of Licensed Arms Cancelled	24
No. of non-bailable warrants executed	708

Fine collected in vehicle checking Rs. 15,16,214

4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हेतु अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें राज्य के सभी सहयोगी विभागों एवं निगमों के नोडल पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस बैठक में उनके स्तर पर संचालित मतदाताओं के जागरूकता से संबंधित कार्य[मों की समीक्षा की गयी। इसके अतिरिक्त स्वीप कार्य[म से संबंधित प्रचार सामग्री यथा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर आदि के मुद्रण एवं वितरण कार्य के प्रगति की समीक्षा की गयी।

5. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण के निर्वाचन वाले जिलों एवं राज्य स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (MCMC) के सदस्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें आयोग की ओर से निदेशक, श्री धीरेन्द्र ओझा, राज्य स्तर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस प्रशिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले राजनैतिक प्रचार सामग्री का Pre Certification करने, संदेहास्पद पेड न्यूज की पहचान करने, मीडिया अनुश्रवण एवं मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया।

6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर तृतीय चरण के जिलों यथा सारण, वैशाली, नालन्दा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर जिला के कुल 50 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचना दिनांक 01.10.2015 को जारी कर दी जायेगी। उक्त जिलों के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु नाम–निर्देशन करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर, 2015, नाम–निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 9 अक्टूबर, 2015, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर, 2015 एवं मतदान की तारीख 28 अक्टूबर, 2015 निर्धारित है।

7. कल दिनांक 29.09.2015 को प्रेषित पूरक प्रेस विज्ञप्ति में अंकित भभुआ थाना कांड संख्या 55/2015 को थाना कांड संख्या 553/2015 पढ़ा जाये।

8. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न त्योहारों के अवसर पर किये जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में निदेश निर्गत किया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि कार्यक्रमों का उपयोग किसी भी रूप में राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले आयोजकों के विरूद्ध प्रासंगिक

नियमों/प्रावधानों तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राजनैतिक प्रचार हेतु आयोजित जुलूस या जन सभा के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए ही दिया जायेगा।

9. यंग इंडिया पटना चैप्टर–सी०आई०आई० द्वारा आज दिनांक 30.09.2015 को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत National Institute of Fashion Technology (NIFT), Patna में जागरूकता सत्र–सह–कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें मतदाताओं विशेषकर युवाओं को मताधिकार के महत्व से अवगत कराते हुए उन्हें मत देने हेतु जागरूक किया जायेगा।

****